बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सं0सं0–पि0व0 / छात्रवृत्ति–35–13 / 2013– 2412

प्रेषक,

डॉ0 एन0 विजयलक्ष्मी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 4-12-13

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2013–14 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति के वितरण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय आवंटनादेश संख्या–18 दिनांक–28.06.13 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं को प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु कुल ₹ 54671.53 लाख (रूपये पाँच अरब छियालिस करोड़ इकहत्तर लाख तिरपन हजार) आवंटित किया गया है एवं ₹ 18852.00 लाख (रूपये एक अरब अठासी करोड़ बावन लाख) का आवंटन की कार्रवाई की जा रही है एवं ₹ 28500.00 लाख के बजट उपबन्ध की कार्रवाई वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार विद्यालय छात्रवृत्ति मद में ₹ 54671.53 लाख + 18852.00 लाख + 28500.00 लाख अर्थात् ₹ 102023.53 लाख (रूपये दस अरब बीस करोड़ तेईस लाख तिरपन हजार) उपलब्ध होंगे।

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से प्राप्त आंकड़े के आधार पर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की कुल छात्राओं के लिए लगभग ₹ 715.00 करोड़ व्यय होने का आकलन किया गया है, किन्तु सामान्य तौर पर छात्राओं की उपस्थिति 60–65% ही पायी जाती है। इस स्थिति में विभाग द्वारा आवंटित / आवंटित की जा रही राशि से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के सभी छात्राओं को छात्रवृत्ति देने के उपरान्त भी एक बड़ी राशि अवशेष रहेगी, जिस राशि से पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लगभग सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किया जा सकता है।

अतः जिला शिक्षा पदाधिकारी से विद्यालयवार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं एवं छात्रों की प्राप्त संख्या के आधार पर राशि का आकलन करते हुए सभी विद्यालयों के लिए राशि का आवंटन किया जाना अति आवश्यक है।

इस संबंध में निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं:–

(1) जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त विवरणी के आधार पर विभाग द्वारा आवंटित राशि से प्राथमिकता के आधार पर जिलान्तर्गत सभी प्रखण्डों में अवस्थित सभी विद्यालयों को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए राशि आवंटित की जाय।

(2) पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए राशि आवंटित करने के उपरान्त क्रमशः अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए सभी प्रखण्डों के विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर राशि का आवंटन किया जाय।

(3) शिक्षा विभाग द्वारा छात्रवृत्ति वितरण के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विद्यालय के छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम में कल्याण विभाग के किसी पदाधिकारी / योग्य कर्मी को उपस्थित रहने की सुनिश्चित व्यवस्था की जाय।

(4) आप अवगत हैं कि विगत वर्ष की भाँति वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी RTGS के माध्यम से आवंटित राशि को विद्यालय शिक्षा समिति / विद्यालय प्रबंधन समिति को राशि का हस्तान्तरण करना है।

कृपया उक्त निदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

4/12/13

(डॉ0 एन0 विजयलक्ष्मी)
सरकार के सचिव।